


# जीवाजी विश्वविद्यालय, गवालियर

गवाल एवं अलगत कृष्णपुरा विधायिका  
विधायिकार वर्ष आठ नं ८५ दिनांक तिथे ४  
को दिनांक आठ अप्रैल वर्ष में असम विधायिका  
विधायिका विधायिका वर्ष में एवं  
अप्रैल दृश्य हो तो पर्याप्त है विधायिका  
विधायिका विधायिका विधायिका है।



मान : जीवाजी  
फ़ोन : ०७५५२-०७८१ २४४२८००  
२४४२८५२ निमाना  
००१-०७८१ २३४१७६५  
E-mail : jureg\_gwi@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwaji.edu>

प्रेषक :

कुलसवित्र,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
गवालियर

प्रकाशक : एफ/उन्नवदता/२०१२/ ५६९६

दिनांक : १३/१२/१२

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ नं १४ धारा २६(i)(v) एवं २४(xii) के अनुरूप वर्षाचारिक वर्ष  
वैष्णव दिनांक ०७ अगस्त, २०१२ के पट क्रमांक (०२) के लिए प्रस्तावित संगठित बी.कॉम. (लम्हार अविवार्य विषय) यानव्यूह एवं विद्यालय  
अतिरिक्त विषय) बी.बी.ए., बी.एस.-सी. (आ.ए.बा.बोटेक वनस्पति, स्ट्रायव), बी.बी.ए., एवं पी.जी.टी.  
सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अन्याई सम्बद्धता निजन लार्टों के लाय प्रदान की जाती है।

## शर्त/प्रतिबंध :-

१. महाविद्यालय विद्यालय पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं को या तो यूर्ध के लार्टों के अनुसार तैयार कर ले अन्यथा लार्ट २०१२-१३ से इन पाठ्यक्रमों में प्रयोग नहीं है।
२. अधिनियम २४ के अंतर्गत पार्श्व एवं आवश्यक संस्थाएं में ऐकायिक टटों को अवश्य नियुक्त करें।
३. यह उन्हें अंतिम अवसर दिया जाय।

आदेशानुसार  
  
कुलसवित्र

प्रति,

१. प्राली, द सिटी कॉलेज, गवालियर
२. आमुकर, गव्यपदेश शालाल, उत्तर शिला विभाग, उत्तरुडा भवन, भोपाल।
३. लोकीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शालाल, उत्तर शिला विभाग, नामिनी-पंचल संभाग, मोती गहल परिसर, गवालियर।
४. उप-कुलसवित्र (प्रीता.बोपनी) जीवाजी विश्वविद्यालय, गवालियर।
५. अधीक्षक, पर्याप्त कक्ष क्रमांक-०३, जीवाजी विश्वविद्यालय, गवालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक जारी रखें।

संचालक कुलसवित्र (संगवद्धता)